तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी को अभिभाषक की तलबी की पत्रावली पेश करने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी पेश नहीं। एक्ट के नियम O-3a-R-3 अनुसार अतिरिक्त अवधि निर्धारित किया जाना कर निस्तारण योग्य किया जाना आवश्यक है लेकिन प्रार्थी द्वारा अभिभाषक की पावती स्टांप पेश नहीं अतः अंतिम अवसर दिया जाता है अगली पेशी पर पेश नहीं करने पर एक्ट के नियम O-9-R-2 व O-9-R-4 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अभिभाषक पावती स्टांप अभिभाषक Reg. 16/12/25 को पेश हो।	
16/12/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/03/26 को पेश हो।	
09/03/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के विधिज्ञ हाजिर। वादी की काफी बाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाकर पुनः की अतः T.I. पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली कमांक होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल-मुलवाद हो।	